IJNRD.ORG ISSN : 2456-4184
INTERNATIONAL JOURNAL OF NOVEL RESEARCH AND DEVELOPMENT (IJNRD) | IJNRD.ORG
An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

सुशासन से सशक्तिकरण की ओर बढ़ता मध्य प्रदेश

1.सोनाली त्रिवेदी
शोधार्थी- एसओएस जीवाजी विश्वविधालय, ग्वलियर(म.प्र.)
2. डॉ आभा वाजपेयी
प्रो. राजनिती विज्ञान
डॉ. भगवत सहाय कॉलेज, ग्वलियर (म.प्र.)

भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित है, कि भारत एक संप्रभु, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष एवं लोकतांत्रिक गणराज्य है । यहां लोकतंत्र से आशा है कि जो शासन करता है वह प्रत्यक्ष रुप से जनता द्वारा चुना जाएगा एवं उसके शासन करने का आधार भारतीय संविधान (कानून) होगा । सुशासन कानून के शासन को सुनिश्चित करता है । इससे लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा मिलता है । प्रशासन में नैतिकता, पारदर्शिता, जवाबदेयता का समावेश होता है ।

महात्मा गांधी ने सु-राज की कल्पना की । यह सु-राज ही सुशासन है । विगत समय में सुशासन की अवधारणा अधिक व्यापक एवं लोकप्रिय हो गई है । सुशासन के अर्थ को स्पष्ट करने हेतु निरंतर नवीन अवधारणाये जन्म ले रही हैं । वर्तमान परिपेक्ष में शासन सुशासन की ओर अग्रसर है ।

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि,-सुशासन का अर्थ है जनता को बिना लिए-दिए और समय पर शासन द्वारा दी जाने वाली सभी सुविधाओं का लाभ मिलना । हमारा लक्ष्य है प्रदेश की जनता को सुशासन देना । हमें जनता के कार्य करने के तरीके निकालने हैं न कि कार्य न करने के बहाने तलाशने है ।

एकात्म मानवाद के प्रणेता पं.दीनदयाल उपाध्याय की अंत्योदय की अवधारणा के अनुसार हमें ऐसे मूल्यों को आत्मासात करना है । जिनका आधार मानवीय मूल्य हो और इन्हीं मूल्यों पर चलते हुए हमें समाज की अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति का भी उदय करना है अर्थात विकास की

मुख्यधारा में शामिल करना है । पंडित जी के इन्हीं विचारों को आत्मसात कर प्रदेश सरकार जनकल्याण की भावना से ओतप्रोत होकर कार्य कर रही है ।

सुशासन के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु प्रदेश सरकार ने विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रम,अभियानों एवं योजनाओं का क्रियान्वयन किया है । इस हेतु वर्तमान सरकार द्वारा **समाधान ऑनलाइन**, **समाधान एक दिवस में** ,**मुख्यमंत्री मॉनिटरिंग सिस्टम** एवं **कल्याण शिविर** का आयोजन किया गया है । मध्य प्रदेश भारत का ह्रदय प्रदेश है, परंतु मध्य प्रदेश का ह्रदय यहां के ग्रामों में बसता है । इस हेतु मध्य प्रदेश सरकार के मुखिया द्वारा अपने निवास पर ही विभिन्न पंचायतों का आयोजन कर जन समस्याओं का तत्काल प्रभाव से निराकरण किया जाता है । आमजन को शासन से प्रत्यक्ष रूप से जोड़ने, लाभ पहुंचाने हेतु शासन के सभी विभागों को स्वान(स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क) से जोड़ा गया है । ई-गवर्नेंस के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोड़ दिया गया है । इसके अलावा आइडिया फॉर पीएम जैसे कदम भी आमजन की समस्याओं का प्रभावी निराकरण करते हैं ।

वर्तमान परिपेक्ष में यह कहना गलत नहीं होगा कि ई-शासन,सुशासन का आधार बन चुका है । ई-टेंडर, ई-ट्रांजैक्शन, ई-उपार्जन,ई-संबल,आदि के माध्यम से सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग जनकल्याण एवं प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने में होता है । सी.एम. हेल्पलाइन प्रदेश में सुशासन की स्थापना हेतु अभिनव एवं सफल प्रयोग रही है । ई -स्टांपिंग एवं हस्ताक्षर को भी आमजन का अच्छा फीडबैक मिला है ।

निश्चित समय अवधि में नागरिकों की समस्याओं का समाधान करने हेतु **समाधान एक दिन** योजना लागू की है । इस हेतु राज्य के नागरिकों को कुछ सेवाये प्राप्त करने हेतु अधिक समय नहीं लगेगा । ऐसी सेवाएं तत्काल लोक सेवा केंद्र से प्राप्त की जा सकेंगी । वर्तमान सरकार का उद्देश्य जहां आत्मनिर्भर भारत है । उसी के अनुसरण में वर्तमान मध्यप्रदेश का उद्देश्य भी प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाना है| यह हेतु शासन द्वारा एक रोड में भी तैयार किया गया है । इसके लिए सरकार '**रुटीन गवर्नेंस**' एवं '**फोकस्ड एजेंडा**' पर काम कर रही है ।

मुख्यमंत्री जन सेवा योजना में नागरिकों को उनके मोबाइल फोन पर पांच महत्वपूर्ण लोक सेवाएं प्रदान की जा रही हैं । सिटीजन इंटरफेस के माध्यम से आमजन घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर 62 सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं । 5000 से अधिक जनसंख्या वाले ग्रामों में उप लोक सेवा केंद्र खोले गए हैं । इन केंद्रों के माध्यम से आधार कार्ड पंजीयन एवं उसमें सुधार, आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थीयो को लाभ प्रदान किया जा रहा है ।

सायबर तहसील की स्थापना करने वाला मध्य प्रदेश, देश का पहला राज्य है । अब कुछ निश्चित प्रकरण जिनमें सुनवाई हेतु पक्षकार को स्वयं उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई कर प्रकरणों को निपटाया जा रहा है । इससे नेयायालयीन मामलो के निपटारे में तेजी आई है । वर्तमान में आमजन की समस्याओं के त्वरित

निराकरण एवं उसे गुणवत्ता पूर्ण सेवा प्रदान करने हेतु **ई-डिस्ट्रिम्ट योजना**, **रेवेन्यू केस मैनेजमेंट सिस्टम** आदि संचालित है ।

प्रदेश में एकल विंडो सिस्टम के बाद यह कल डेटाबेस तैयार किया जा रहा है। इस डेटाबेस से प्राप्त जानकारी के आधार पर नागरिकों को घर बैठे सिंगल क्लिक पर सेवाएं प्राप्त हो जाती हैं । स्टेट डाटा सेंटर में मध्यप्रदेश शासन द्वारा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से संचालित सेवाएं का संपूर्ण रिकॉर्ड सुरक्षित रखा जा रहा है ।

वर्तमान युग सूचना संचार प्रौद्योगिकी का युग है । परिणाम स्वरूप वर्तमान में हम सुशासन से आगे बढ़कर ई-शासन और अब उसे भी एक कदम आगे एम गवर्नेस तक पहुंच गये हैं । यहां एम मोबाइल एवं गवर्नेस से आशय है शासन अर्थात मोबाइल शासन से है । आज लगभग सभी सुविधाएं मोबाइल के माध्यम से उपलब्ध है । मध्यप्रदेश शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि प्रदेश के नागरिकों को जो सुविधाएं एक हफ्ते में प्राप्त होती है, यदि वह निर्धारित समयावधि में प्राप्त नहीं हो रही है तो ऐसी स्थिति में वह सुविधा नागरिकों को स्वतः प्राप्त हो जाएगी । प्रदेश के नागरिकों को सुविधा के दृष्टि से उठाया गया यह कदम सुशासन की दृष्टि से महत्वपूर्ण कदम है।

प्रदेश के मुख्यमंत्री **श्री शिवराज सिंह चौहान** जी के कथनानुसार- "मध्य प्रदेश प्रकृतिक संसाधनों से समृद्ध राज्य है । क्षेत्र के विकास हेतु इन संसाधनों का उपयोग योजनाबद्ध ढंग से करना होगा । सभी क्षेत्र प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष ढंग से एक दूसरे से जुड़े हैं । एक क्षेत्र के विकास का सीधा असर दूसरे पर भी पड़ता है इसलिए क्षेत्र को दूसरे क्षेत्र से जुड़कर विकास कार्य करना होगा "

संदर्भ-

1. मध्य प्रदेश मासिक पत्रिका संदेश – अक्टूबर, दिसम्बर 2020,

2. मध्य प्रदेश शासन की मासिक पत्रिका माह फरवरी – 2021 व मार्च- 2022

3. योजना पत्रिका अप्रैल 2022

4. समाचर पत्र – दैनिक भास्कर, रोजगार और निर्माण पत्रिक

5. www.mpinfo.org